

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सुजाराम पुत्र पोकरराम जाति रैगर
सा. मीठड़ी तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
ओमप्रकाश पुत्र दल्लाराम जाति रैगर वगै.
सा. मीठड़ी तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटी एक्ट

मुकदमां नम्बर 047/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
19.03.2021	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इसी अनुवान के वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1780/59 रकबा 0.9982 हैक्टर, खसरा नम्बर 1781/59 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1784/58 रकबा 0.077 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.41 हैक्टर भूमि का किसी विक्षिप्त भू-भाग का अंकन करते हुए बैचान नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस अण्य की अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.04.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्ममलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>26/4/21 पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के तहत लॉक डाउन होने के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व साविद्या अनुसार दिनांक 20/7/21 को पेश है।</p>	
20/7/21	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपरो. अप्रार्थीगण के नोटिस पेश करें। मि.दि. 25/8/21 को पेश हो</p>	
25/8/21	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपरो. पूर्व आदेश की पालना करने हेतु दस्तावेज की गई मि.दि. 29/9/21 को पेश हो</p>	

29/9/21 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 11/10/21
को पेश हो।

SE

11/10/21 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021" केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीमाना
नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक
5/11/22 को पेश हो।

SE

5/11/22 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 16/3/22
को पेश हो।

SE

16/3/22 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में
कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया / पत्रावली इलाका
होकर दिनांक 22/3/22 को पेश हो।

SE

22/3/22 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में
कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया / पत्रावली इलाका
होकर दिनांक 7/4/22 को पेश हो।

SE

7/4/22 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में
कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया / पत्रावली इलाका
होकर दिनांक 13/6/22 को पेश हो।

SE

13/6/22 पत्रावली पेश हुई। बकील बार अध्यक्ष
के द्वारा आज का स्थगन रखा
है। पत्रावली दिनांक 6/7/22
को पेश हो।

SE

07/22 पत्रावली पेश हुई। चकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे हे पत्रावली दिनांक 21/7/22
को पेश हो।

21/7/22 पत्रावली पेश हुई। चकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे हे पत्रावली दिनांक 24/8/22
को पेश हो।

24/8/22 पत्रावली पेश हुई। बकील वार अघ्यत
के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा
हे। पत्रावली दिनांक 26/8/22
को पेश हो।

26/8/22 उम्रपपत्र उपो। श्रुतार्थी संख्या 11 की
भोर से Adv. श्री मोहन सिंह ने जवाब
पत्र पेश किया जिसमें पति
Adv. वार्थी को जिला मरी पत्रावली
दि 11/9/22 को पेश हो।

11/9/22 उम्रपपत्र उपो। बकाया की तमबी
जतिपे RAD पेश कलै हेतु दिहापन
ही मरी मिकि 15/9/22 को पेश
हो।

15/9/22 पत्रावली पेश हुई। बकील वार अघ्यत
के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा
हे। पत्रावली दिनांक 27/9/22
को पेश हो।

27/9/22 उम्रपपत्र उपो। पूर्व आदेश की
पालना कलै हेतु दिहापन ही मरी
मिकि 29/9/22 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/9/22	पत्रावली पेश वार एसोसियेशन में कन्ड्रोलेंस कार कार्य स्थान का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका होकर दिनांक 10/10/22 को पेश हो। SR
10/10/22	उग्रपपञ्ज उपण व कापा की तमबी पेश करने हेतु पुनः दिवापत की गयी कि 17/10/22 को पेश हो। SR
17/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 23/11/22 को पेश हो। SR
3/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वार अच्यक्ष के द्वारा आज रखा है। पत्रावली दिनांक 23/11/22 को पेश हो। SR
23/11/22	उग्रपपञ्ज उपण पूर्व आदेश की पालना करने हेतु दिवापत की गयी कि 28/12/22 को पेश हो। SR
28/12/22	उग्रपपञ्ज उपण व कापा की तमबी पेश करने हेतु अंतिम दिवापत की गयी कि 10/1/23 को पेश हो। SR
10/1/23	उग्रपपञ्ज उपण पूर्व आदेश की पालना करने हेतु दिवापत की गयी कि 17/1/23 को पेश हो। SR

17/11/23 उम्मापपञ्ज उपण। उकापा की तलबी
पेश कर्ने हेतु पुनः दिहापन ही
गर्हि मि.दि. 19/11/23 को पेश हो
५५

19/11/23 उम्मापपञ्ज उपण। पूर्व श्वादेज की
पालना कर्ने हेतु दिहापन ही गर्हि
मि.दि. 23/11/23 को पेश हो
५५

23/11/23 उम्मापपञ्ज उपण। साहिण श्वादेज की
पालना कर्ने हेतु दिहापन ही गर्हि
मि.दि. 15/12/23 को पेश हो
५५

15/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील कर अध्याप
के द्वारा अर्ज... स्थगन रखा
है। पत्रावली दिनांक 21/3/23
को पेश हो।
५५

21/3/23 उम्मापपञ्ज उपण। उकापा की तलबी
पेश कर्ने हेतु अंतिम दिहापन ही गर्हि
मि.दि. 10/4/23 को पेश हो
५५

10/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 20/4/23
को पेश हो। ५५

20/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 29/5/23
को पेश हो। ५५

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/5/23

पत्रावली अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 केम कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र 11/6/23 में आज पेश हुई। अतिवक्ता वादी / प्रतिवादी हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी गण हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 19/7/23 को पेश हो।

19/7/23

उत्तरपक्ष उपर। पूर्व क्षादेश की पालना करने हेतु द्वापत की गयी मि.दि. 10/8/23 को पेश हो।

10/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 28/8/23 को पेश हो।

28/8/23

उत्तरपक्ष उपर। द्वापत की पालना करने हेतु पुनः द्वापत की गयी मि.दि. 4/9/23 को पेश हो।

4/9/23

पत्रावली पेश हुई। वकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली दिनांक 13/9/23 को पेश हो।

13/9/23

उत्तरपक्ष उपर। साविता क्षादेश की पालना करने हेतु द्वापत की गयी मि.दि. 4/10/23 को पेश हो।

4/10/23

उत्तरपक्ष उपर। उत्तरी पेश करने हेतु पुनः द्वापत की गयी मि.दि. 14/11/23 को पेश हो।

14/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो।

11/12/23 उग्रपक्ष उपर पूर्व आदेश की पालना
करने हेतु दिवापत की गयी मि० डि०
13/12/23 को पेश हो ए

31/12/23 उग्रपक्ष उपर तलबी पेश करने हेतु हुकम
दिवापत की गयी मि० डि० 26/12/23 को पेश
हो ए

26/12/23 उग्रपक्ष उपर पूर्व आदेश की पालना
करने हेतु अतिम दिवापत की गयी मि०
डि० 23/1/24 को पेश हो ए

21/1/24 उग्रपक्ष उपर तलबी पेश करने
हेतु अतिम दिवापत की गयी मि० डि०
8/1/24 को पेश हो ए

8/1/24 उग्रपक्ष उपर पूर्व आदेश की पालना
करने हेतु दिवापत की गयी मि० डि०
11/1/24 को पेश हो ए

11/1/24 उग्रपक्ष उपर पत्रावली खाद पत्र के माध्य
मि० 16/1/24 को पेश हो ए

16/1/24 उग्रपक्ष उपर पूर्व आदेश की पालना
में पत्रावली मि० 18/1/24 को पेश हो
ए

18/1/24 उग्रपक्ष उपर अख्तियार पत्र के सत्य पत्रावली
मि० 19/1/24 को पेश हो ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
19/1/24	उत्तरपक्ष उपर मूल वाद पत्र के लिये दि. 29/1/24 को पेश हो
29/1/24	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्टवा होकर दिनांक 6/2/24 को पेश हो।
6/2/24	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्टवा होकर दिनांक 19/2/24 को पेश हो।
19/2/24	उत्तरपक्ष उपर पत्रावली मूल वाद पत्र के लिये दि. 20/2/24 को पेश हो
20/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई मूल वाद पत्र का निस्तान ही युक्त है इसलिए इस पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>क्षरः प्राप्ति का प्रार्थना पत्र मूल वाद पत्र का निस्तान हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिये सुमा होकर तब से कम हो व खारिज है।</p>

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुशा)